

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या - 12/2012/जयपुर

गैसर्स यूरेका फोर्म्स लिमिटेड, वैशाली नगर, जयपुर.

.....प्रार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रति-करापवंचन-द्वितीय, जयपुर. ....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपरिथित :

श्री री एम बटवाड़ा, अधिवक्ता .....प्रार्थी की ओर से.

श्री रामकरण रिंड,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक—20.10.2014


### आदेश

प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या-71/2010/जयपुर के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2011 को परिशोधित करने हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 37 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रति-करापवंचन-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा प्रार्थी व्यवहारी के वर्ष 1992-93 का राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 10, 16(1)(i) व (e) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.9.96 को पारित करते हुए अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रार्थी व्यवहारी द्वारा बेचे गये वैक्यूम वलीनर पर 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होने के बावजूद 10 प्रतिशत की दर से कर वसूल किये जाने के कारण 2 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रुपये 20,536/-, करापवंचन के लिये धारा 16(1)(i) के अन्तर्गत शारित रूपये 41,071/- व धारा 11(बी) के तहत ब्याज रूपये 44,357/- का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश को उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर के समक्ष चुनौती दिये जाने पर उपायुक्त (अपील्स) के आदेश दिनांक 18.4.2007 द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर प्रार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने से व्यक्ति होकर प्रार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 1460/2007 प्रस्तुत की गई। माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा उक्त अपील में दिनांक 9.2.2009 को निर्णय पारित करते हुए उक्त बिन्दु पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :-

"इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैक्यूम वलीनर की बिक्री पर आरोपित अतिरिक्त कर रुपये 20,536/-, शारित रूपये 41,071/- एवं ब्याज रूपये 44,357/- पूर्णतया विधिराम्भ होने के कारण इसकी पुष्टि किये जाने में उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर द्वारा कोई विधिक भूल नहीं की गई है।"

लगातार.....2



प्रार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उक्त आदेश दिनांक 09.02.2009 के सम्बन्ध में परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 31/2009/जयपुर प्रस्तुत कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज की गणना में की गयी विधिक भूल को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी। कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 08.07.2010 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:—

“इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैक्यूम क्लीनर की बिक्री पर आरोपित अतिरिक्त कर रूपये 20,536/-, शास्ति रूपये 41,071/- पूर्णतया विधिसम्मत होने से इनकी पुष्टि की जाती है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज राशि रूपये 19,715/- की पुष्टि करते हुए शेष ब्याज अपास्त किया जाता है। अतः कर रूपये 20,536/-, शास्ति रूपये 41,071/- व ब्याज रूपये 19,715/- की सीमा तक उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर के आदेश की पुष्टि की जाती है।”

उक्त पारित परिशोधित आदेश दिनांक 08.07.2010 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा पुनः अधिनियम की धारा 37 के तहत परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, कर बोर्ड की एकलपीठ के पारित निर्णय दिनांक 8.7.2010 में अधिनियम की धारा 16(1)(ई) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति आरोपणीय नहीं होने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भित बाध्यकारी निर्णयों पर विचार नहीं किये जाने सम्बन्धी रेकार्ड पर परिलक्षित त्रुटि को संशोधित करने का निवेदन किया गया है। कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र के कम में आदेश दिनांक 24.06.2011 पारित कर, राह निर्णीत किया कि:—

“कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 9.2.2009 में संशोधन हेतु प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र में शास्ति बाबत उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्त मूल अपील के स्तर पर नहीं उठाये जाने के कारण इनके आधार पर धारा 16(1)(ई) की शास्ति सम्बन्धी आदेश दिनांक 9.2.2009 अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधन योग्य नहीं होने के कारण परिशोधन प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 8.7.2010 में इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया गया था”

अतः प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को उक्त तथ्यात्मक स्थिति व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम गेसर्स मक्कल प्लास्टिक प्रूजेन्सीज की सिविल अपील संख्या 2692/2011 में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में प्रतिपादित विधि के आलोक में, प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को जरिये निर्णय दिनांक 24.06.2011 के अस्वीकार कर दिया गया।

कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2011 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा पुनः उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अधिनियम की धारा 16(1)(ई) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति आरोपणीय नहीं होने

के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भित बाध्यकारी निर्णयों पर विचार नहीं किये जाने सम्बन्धी रेकार्ड पर परिलक्षित त्रुटि को संशोधित करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रार्थी की अपील संख्या 1460/2007/जयपुर में व्यवहारी के विरुद्ध धारा 16(1)(ई) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति यथावत रखने सम्बन्धी कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 9.2.2009 में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त आदेश में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों पर विचार नहीं किये जाने की रेकार्ड पर परिलक्षित त्रुटि को संशोधित करने का भी निवेदन किया गया था, परन्तु कर बोर्ड की एकलपीठ के संशोधित निर्णय दिनांक 08.07.2010 व निर्णय दिनांक 24.06.2011 में प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों पर विचार कर शास्ति यथावत रखने की त्रुटि को संशोधित नहीं किया गया है। अतः कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2010 व निर्णय दिनांक 24.06.2011 में उक्त रिकॉर्ड पर परिलक्षित भूल होने के कारण अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत परिशोधनीय है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत मूल अपील के लिये प्रस्तुत घोषणा प्ररूप वैट-29 में अंकित ग्राउण्ड संख्या-9 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त में प्रार्थी द्वारा यह अंकित किया गया था कि तत्कालीन अपीलीय अधिकारी द्वासा अधिनियम की धारा 16(1)(ई) के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को प्रार्थी के संव्यवहार में दर्ज होने के उपरांत भी उक्त को यथावत रखा गया था जो विधिसम्मत एवम् अनुचित है। इसी प्रकार ग्राउण्ड संख्या-10 में भी प्रार्थी द्वारा यह अंकित किया गया था कि तत्कालीन अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रार्थी के करापवचन के उद्देश्य को प्रमाणित किये बिना ही अधिनियम की धारा 16(1)(ई) के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि की गयी है जबकि निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर मत भिन्नता के आधार पर आरोपित किया गया है।

विशिष्ट रूप से उक्त बिन्दु के संबंध में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त आरोपित शास्ति के संबंध में विधिक रूप से वक्त सुनवायी बहस की गयी थी जिसके उपरांत कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.02.2009 के पृष्ठ संख्या 5 में यह निर्णय दिया गया है कि —

“इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैक्यम् वलीनर की बिक्री पर आरोपित अतिरिक्त कर रूपये 20,536/-, शास्ति रूपये 41,071/- एवं ब्याज रूपये 44,357/- पूर्णतया विधिसम्मत होने के कारण इसकी पुष्टि किये जाने में उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर द्वारा कोई विधिक भूल नहीं की गई है”

अग्रिम कथन किया कि यदि प्रार्थी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर बहस नहीं की गयी होता या फिर उक्त बिन्दु मूल अपील में विवादित नहीं किया गया

होता तो माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा शास्ति के बिन्दू पर किस प्रकार निर्णय पारित कर, निर्धारण अधिकारी व तत्कालीन अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की गयी। अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में कथन किया कि कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2009 व परिशोधन निर्णय दिनांक 08.07.2010 व 24.06.2011 में स्पष्टतः रिकॉर्ड की परिलक्षित भूल है जो अधिनियम की धारा 37 के तहत परिशोधनीय है। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 35 एस.टी.सी. 1 को प्रोद्धरित कर, प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता ने उपरिथित होकर कथन किया कि गुणावगुण संचेतन मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश अधिनियम की धारा 37 की परिधि के बाहर होने का तर्क दिया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने हालिया न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 / 2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि परिशोधन में पुनर्विलोकन (review) शामिल नहीं है। अतः माननीय शीर्ष न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को अर्थीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2011 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के पृष्ठ कमांक-3 के पैरा-3 में समान बिन्दू पर प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को निम्नानुसार निर्णय पारित कर, अर्थीकार किया गया है:-

“इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) के आदेश दिनांक 18.4.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 1460 / 2007 / जयपुर के अपील मीमो में उल्लेखित आधारों एवं बहस के तर्कों तथा उद्धरित किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1995) 97 एस.टी.सी. 238 पर समुचित रूप से विचार करते हुए कर बोर्ड की इस एकलपीठ द्वारा विस्तृत विवेचन के साथ सुविचारित निर्णय दिनांक 9.2.2009 पारित किया गया है तथा इस आदेश में धारा 16(1)(ई) की शास्ति की पुष्टि किये जाने में रेकार्ड पर परिलक्षित किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी द्वारा कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 09.02.2009 में संशोधन हेतु प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र में शास्ति बाबत उद्धरित किये गये न्यायिक

दृष्टान्त मूल अपील के स्तर पर नहीं उठाये जाने के कारण इनके आधार पर धारा 16(1)(ई) की शास्ति सम्बन्धी आदेश दिनांक 9.2.2009 अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधन योग्य नहीं होने के कारण परिशोधन प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 08.07.2010 में इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।


अतः प्रार्थी व्यवहारी द्वारा मूल अपील के समय प्रस्तुत नहीं किये गये एवं पूर्व परिशोधन प्रार्थना में उद्दरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर संशोधन आदेश दिनांक 08.07.2010 को संशोधित करने हेतु अधिनियम की धारा 37 के तहत पुनः प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी व्यवहारी की अपील संख्या 1460/2007/जयपुर में, कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2009 में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तत्समय बहस के दौरान उठाये गये समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दुओं पर विचार करते हुए विस्तृत विवेचन के साथ सुविचारित निर्णय पारित किया गया है तथा इसमें रेकार्ड पर परिलक्षित प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त (2003) 5 टैक्स अपडेट 34 एवं (2003) 2 आर.टी.आर. 250 के निर्णयों के अनुसार व्यवहारी द्वारा अपील के दौरान उठाये गये तथ्य/तर्कों पर विचार करते हुए पारित किये गये निर्णय को उन्हीं तथ्यों/तर्कों अथवा विधिक विवादित बिन्दु के आधार पर अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2000) 27 आर.टी.जे.एस. 158 में यह अभिनिर्णित किया गया है कि अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान गुणावगुण पर पारित किये गये पूर्व आदेश को रिव्यू करने की क्षेत्राधिकारिता प्रदान नहीं करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मेसर्स मकाड़ प्लास्टिक एजेन्सीज की सिविल अपील संख्या 2692/2011 में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में यह अवधारित किया गया है कि पूर्व में पारित सुविचारित निर्णय अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत परिशोधन की परिधि में नहीं आता है तथा अधिनियम की धारा 37 पूर्व में पारित निर्णय के पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है।”

उक्त निर्णय में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा रिकॉर्ड की पूर्ण रूप से जांच कर, संचेतन मस्तिष्क से प्रकरण के गुणावगुण का विस्तृत विश्लेषण कर, एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 09.02.2009, 08.07.2010 व 24.06.2011 पारित किये गये हैं जिनका पुनर्विलोकन कर, परिशोधन करना अधिनियम की धारा 37 की परिधि में नहीं है। जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत मैसर्स मैकड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्सा अपडेट 253 में छपा है, मैं यह अवधारित किया है कि परिशोधन में पुनर्विलोकन (review) शामिल नहीं है। अतः माननीय शीर्ष न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जाता है। परिणामतः, प्रार्थी द्वारा प्ररतुत परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

  
20.10.14  
(मदन लाल)

सदस्य